

विशेष श्रेणी का दर्जा

प्रलिम्सि के लिये:

विशेष श्रेणी के राज्य, गाडगलि सूत्र

मेन्स के लिये:

वशिष श्रेणी की स्थिति से जुड़े लाभ और मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि**केंद्र किसी भी राज्य के लिये 'विशेष श्रेणी के द<mark>र्ज' की मांग पर विचार नहीं करेगा</mark> क्योंकि 14वें <mark>वित्त</mark> <u>आयोग</u> ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है।**

यह ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिये बड़ा झटका है क्योंकि ये राज्य पिछले कुछ वर्षों से विशेष श्रेणी के दर्ज की मांग कर रहे
हैं।

वशिष श्रेणी का दर्जा (SCS):

- परचिय:
 - विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं।
 - संवधान SCS के लिये प्रावधान नहीं करता है और यह वर्गीकरण बाद में 1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
 - ॰ पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को यह दर्जा दिया गया था।
 - ॰ पुरुव में **योजना आयोग की राषटरीय विकास परिषद** दवारा योजना के तहत सहायता के लिये SCS परदान किया गया था।
 - ॰ असम, नगालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया।
 - तेलंगाना, भारत के सबसे नवीन <mark>राज्य को यह</mark> दर्जा दिया गया था क्योंकि इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था।
 - ॰ 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और ती<mark>न पहाड़ी रा</mark>ज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया है।
 - इसने सुझाव दिया कि प्<mark>रत्येक रा</mark>ज्य के संसाधन अंतर को 'कर हस्तांतरण' के माध्यम से भरा जाए, केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया गया है।
 - SCS, विशेष स्थिति से अलग है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
 - उदाहरण के लिये अनुचछेद 370 के निरस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।
- निर्धारक (गाडगिल सिफारिश पर आधारित):
 - ॰ पहाड़ी इलाका
 - ॰ कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हसि्सा
 - ॰ पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति
 - ॰ आरथिक और आधारभृत संरचना पछिड़ापन
 - ॰ राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति

विशष श्रेणी के दर्जे के लाभ:

■ अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में केंद्र परायोजित योजना में आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान

किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

- वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि व्यपगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़ाया जाता है।
- इन राज्यों को **उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर** में महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष शरेणी के राज्यों को परदान किया जाता है।

वशिष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चिताएँ:

- यह केंद्रीय वित्त पर दबाव में वृद्धि करता है।
- साथ ही एक राज्य को विशेष दर्जा देने सेदूसरे राज्य भी ऐसी मांग करने लगते हैं। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार द्वारा की जाने वाली मांग।

निष्कर्षः

■ जैसा कि 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, **राज्यों को कर हस्तांतरण बढ़ाकर 42% कर दिया गया है** और इसे <u>15वें वित्त आयोग (41%)</u> द्वारा भी जारी रखा गया है ताकि SCS का विस्तार किये बिना संसाधन भिन्नता/अंतर को कम किया जा सके।

